MASTER IN POLITICAL SCIENCE

Term-End Examination December, 2024

MPSE-008: STATE POLITICS IN INDIA

REVISION CLASS 02

Liberalization has accentuated the problem of regional imbalances. Discuss

उदारीकरण ने क्षेत्रीय असंतुलन की समस्याओं को बढ़ा दिया है। चर्चा कीजिए ।

1. Unequal Distribution of Resources

संसाधनों का असमान वितरण

Liberalization has led to the concentration of industries, investments, and infrastructure in already developed regions, leaving backward areas underdeveloped. The resources, both human and capital, are not evenly distributed, leading to widening regional disparities.
उदारीकरण ने पहले से विकसित क्षेत्रों में उद्योगों, निवेशों और बुनियादी ढांचे का एकत्रीकरण कर दिया है, जबकि पिछड़े क्षेत्र अविकसित रहे हैं। संसाधन, जैसे मानव और पूंजी, समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता है।

2. Urbanization and Migration

नगरिकीकरण और प्रवास

With the growth of industries in urban areas due to liberal policies, there has been a huge migration of people from rural areas to cities. This migration has intensified the population pressure on urban centers, while rural areas continue to face a lack of development.
उदारीकरण नीतियों के कारण शहरी क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी इलाकों में भारी प्रवास हुआ है। इस प्रवास ने शहरी केंद्रों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा दिया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र विकास की कमी का सामना करते हैं।

3. Disproportionate Economic Growth

असमान आर्थिक वृद्धि

The benefits of economic reforms have mostly been enjoyed by a few states or regions with better infrastructure, education, and skilled labor. Other areas, especially those in the interior or with poor infrastructure, have not seen much improvement, leading to regional economic disparities.
आर्थिक सुधारों के लाभ मुख्य रूप से कुछ राज्यों या क्षेत्रों ने ही प्राप्त किए हैं, जिनके पास बेहतर बुनियादी ढांचा, शिक्षा और कौशलमंद श्रमिक हैं। अन्य क्षेत्र, विशेष रूप से आंतरिक या खराब बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों, में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, जिसके कारण क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन बढ़ा है।

Scholarly Minds

4. Impact on Agriculture

कृषि पर प्रभाव
While the industrial and service sectors have flourished, the agricultural sector, particularly in rural areas, has lagged. The focus on urban development and foreign investment has led to the neglect of agriculture, further widening the gap between urban and rural regions.
जबकि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र विकसित हुए हैं, कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में, पिछड़ गया है। शहरी विकास और विदेशी निवेश पर ध्यान केंद्रित करने के कारण कृषि की उपेक्षा हुई है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर और बढ़ गया है।

5. Employment Opportunities

रोजगार के अवसर
The industrial sector, which grew due to liberalization, has created employment opportunities mostly in urban areas. Rural areas, with limited industrial development, still face high levels of unemployment and underemployment.
उदारीकरण के कारण विकसित औद्योगिक क्षेत्र ने मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं। सीमित औद्योगिक विकास वाले ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उच्च बेरोजगारी और अपर्याप्त रोजगार की स्थिति बनी हुई है।

6. Increased Regional Disparities in Investment

निवेश में क्षेत्रीय असंतुलन
The liberalization process has attracted more foreign direct investment (FDI) in certain regions, particularly those that are well connected, have skilled labor, and better infrastructure. On the other hand, backward regions have not seen equal investment, contributing to regional imbalances.
उदारीकरण की प्रक्रिया ने कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, जिसमें कुशल श्रम और बेहतर बुनियादी ढांचा है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आकर्षित किया है। दूसरी ओर, पिछड़े क्षेत्रों में समान निवेश नहीं हुआ है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है।

7. Education and Skill Gap

शिक्षा और कौशल अंतर
Areas with better access to education and vocational training have experienced more growth in industries and services, whereas regions lacking educational facilities remain underdeveloped. This educational and skill gap between regions has deepened post-liberalization.
जिन क्षेत्रों में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की बेहतर सुविधा है, वहां उद्योगों और सेवाओं में अधिक वृद्धि हुई है, जबकि जिन क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं की कमी है, वे अविकसित बने रहे हैं। यह शैक्षिक और कौशल अंतर उदारीकरण के बाद और गहरा हो गया है।

8. Regional Political Tensions

क्षेत्रीय राजनीतिक तनाव
The widening regional disparities have sometimes led to political tensions. States that feel neglected due to insufficient attention and resources often voice their grievances, demanding

Scholarly Minds

more equitable development.
बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलन ने कभी-कभी राजनीतिक तनाव उत्पन्न किया है। वे राज्य जो अपर्याप्त ध्यान और संसाधनों के कारण उपेक्षित महसूस करते हैं, अक्सर अपनी शिकायतें उठाते हैं, और अधिक समान विकास की मांग करते हैं।

In conclusion, liberalization has contributed to regional imbalances by favouring already developed areas, leading to disparities in infrastructure, employment, education, and overall economic growth. Addressing these imbalances requires targeted policies and equal resource distribution.
अंत में, उदारीकरण ने पहले से विकसित क्षेत्रों को लाभ पहुंचाकर क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण बुनियादी ढांचा, रोजगार, शिक्षा और समग्र आर्थिक विकास में असमानताएं उत्पन्न हुई हैं। इन असंतुलनों को हल करने के लिए लक्षित नीतियों और समान संसाधन वितरण की आवश्यकता है।

Write a note on the assertion of backward caste in India.

भारत में पिछड़ी जातियों के दावे के बारे में टिप्पणी लिखिए।

1. Historical Marginalization

ऐतिहासिक हाशियाकरण
Backward castes in India have historically been marginalized and oppressed by the upper castes, facing social, economic, and political exclusion. They were often denied access to basic rights, education, and resources, which led to their backwardness in society.
भारत में पिछड़ी जातियों को ऐतिहासिक रूप से ऊंची जातियों द्वारा हाशिए पर रखा गया और उत्पीड़ित किया गया था, उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहिष्कृत किया गया। उन्हें बुनियादी अधिकारों, शिक्षा और संसाधनों से वंचित किया गया, जिसके कारण वे समाज में पिछड़े रहे।

2. Demand for Reservation

आरक्षण की मांग
In response to historical injustice, backward castes have demanded reservations in education, jobs, and political representation. The reservation system, introduced in the Constitution of India, is aimed at providing opportunities for social and economic upliftment to these communities.
ऐतिहासिक अन्याय के जवाब में, पिछड़ी जातियों ने शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण की मांग की है। भारतीय संविधान में आरक्षण प्रणाली का उद्देश्य इन समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अवसर प्रदान करना है।

3. Political Mobilization

राजनीतिक सक्रियता
Over time, backward castes have formed political organizations to assert their rights and demands. Political parties representing these castes have played a significant role in shaping Indian politics, advocating for policies that benefit backward communities.
समय के साथ, पिछड़ी जातियों ने अपने अधिकारों और मांगों को मजबूत करने के लिए राजनीतिक

Scholarly Minds

संगठनों का निर्माण किया है। इन जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टियाँ भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जो पिछड़ी समुदायों के लाभ के लिए नीतियों का समर्थन करती हैं।

4. Social Reforms and Awareness

सामाजिक सुधार और जागरूकता

Movements led by social reformers like Dr. B.R. Ambedkar and others have raised awareness about the rights of backward castes. These movements have played a critical role in fighting caste-based discrimination and uplifting backward communities through education and social reform.

डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे सामाजिक सुधारकों द्वारा नेतृत्व किए गए आंदोलनों ने पिछड़ी जातियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। इन आंदोलनों ने जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने और शिक्षा तथा सामाजिक सुधार के माध्यम से पिछड़ी जातियों का उत्थान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

5. Challenges in Implementation of Reservation

आरक्षण के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

Although the reservation system has provided some benefits, its implementation has faced challenges such as misuse, corruption, and the debate over the criteria for backwardness. These issues have led to controversies and demands for further reforms in the reservation policy.

हालांकि आरक्षण प्रणाली ने कुछ लाभ प्रदान किए हैं, लेकिन इसके कार्यान्वयन में दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और पिछड़ेपन के मानदंडों पर बहस जैसी चुनौतियाँ आई हैं। इन मुद्दों ने विवादों को जन्म दिया है और आरक्षण नीति में आगे सुधार की मांग की गई है।

6. Economic Backwardness

आर्थिक पिछड़ापन

Despite reservations, many backward caste communities still face economic deprivation. They struggle to access quality education, healthcare, and employment opportunities. Economic upliftment remains a key concern, and the demand for more inclusive policies is growing.

आरक्षण के बावजूद, कई पिछड़ी जाति समुदाय अभी भी आर्थिक रूप से वंचित हैं। वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसरों तक पहुँचने में संघर्ष करते हैं। आर्थिक उत्थान एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है, और समावेशी नीतियों की मांग बढ़ रही है।

7. Ongoing Struggle for Equality

समानता के लिए जारी संघर्ष

The backward caste movement continues to challenge caste-based discrimination and advocate for equal rights in all sectors. Their assertion is not just about reservations, but also about full participation in social, political, and economic spheres, aiming for an egalitarian society.

पिछड़ी जाति आंदोलन जाति-आधारित भेदभाव को चुनौती देने और सभी क्षेत्रों में समान अधिकारों के

Scholarly Minds

लिए समर्थन करने का काम जारी रखता है। उनका दावा केवल आरक्षण के बारे में नहीं है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में पूर्ण भागीदारी के बारे में भी है, जिससे एक समानतावादी समाज की दिशा में काम किया जा सके।

Exam in the Marxist framework to analyse state politics.

राज्य की राजनीति का विश्लेषण करने के लिए मार्क्सवादी ढांचे की जांच कीजिए।

1. Role of the State in a Capitalist Society

पूंजीवादी समाज में राज्य की भूमिका

In Marxist theory, the state is seen as a tool of the ruling capitalist class (bourgeoisie). The state's primary function is to maintain the power and interests of the ruling class by enforcing laws and policies that protect private property, capitalist production, and economic inequalities.

मार्क्सवादी सिद्धांत में राज्य को शासक पूंजीवादी वर्ग (बुर्जुआ) के उपकरण के रूप में देखा जाता है। राज्य का मुख्य कार्य शासक वर्ग की शक्ति और हितों को बनाए रखना है, जिसमें निजी संपत्ति, पूंजीवादी उत्पादन और आर्थिक असमानताओं की रक्षा करने वाले कानून और नीतियों को लागू करना शामिल है।

2. The State as an Instrument of Class Oppression

राज्य के रूप में वर्गीय उत्पीड़न का उपकरण

According to Marx, the state operates to suppress the working class (proletariat). The state's actions, such as law enforcement and military power, serve the interests of the bourgeoisie by preventing the working class from revolting against their exploitation and ensuring their subjugation.

मार्क्स के अनुसार, राज्य श्रमिक वर्ग (प्रोलेटेरियट) को दबाने के लिए कार्य करता है। राज्य की क्रियाएँ, जैसे कानून प्रवर्तन और सैन्य शक्ति, बुर्जुआ वर्ग के हितों की सेवा करती हैं, ताकि श्रमिक वर्ग उनके शोषण के खिलाफ विद्रोह न कर सकें और उनका वर्चस्व बनाए रखा जा सके।

3. The Concept of Ideology

विचारधारा का सिद्धांत

In the Marxist framework, the state promotes an ideology that justifies the existing social order. This ideology, through education, media, religion, and other institutions, legitimizes capitalist structures and convinces the working class that their exploitation is natural or inevitable.

मार्क्सवादी ढांचे में, राज्य एक ऐसी विचारधारा को बढ़ावा देता है जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को न्यायसंगत ठहराती है। यह विचारधारा शिक्षा, मीडिया, धर्म और अन्य संस्थानों के माध्यम से पूंजीवादी संरचनाओं को वैध बनाती है और श्रमिक वर्ग को यह यकीन दिलाती है कि उनका शोषण स्वाभाविक या अनिवार्य है।

4. The State and Class Struggle

Scholarly Minds

राज्य और वर्ग संघर्ष
Marxists view state politics as a reflection of the ongoing class struggle. The state's actions and policies are determined by the interests of the dominant class. During periods of intense class struggle, the state may adopt repressive measures to control the working class, but it also plays a role in maintaining stability for capitalists.
मार्क्सवादी राज्य की राजनीति को जारी वर्ग संघर्ष का प्रतिबिंब मानते हैं। राज्य की कार्रवाइयाँ और नीतियाँ प्रभुत्व वर्ग के हितों द्वारा निर्धारित होती हैं। जब वर्ग संघर्ष तीव्र हो जाता है, तो राज्य श्रमिक वर्ग को नियंत्रित करने के लिए दमनकारी उपाय अपना सकता है, लेकिन यह पूंजीपतियों के लिए स्थिरता बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है।

5. Revolutionary Change and the Role of the State

क्रांतिकारी परिवर्तन और राज्य की भूमिका
Marx believed that the state would eventually be overthrown through a proletarian revolution. Once the working class gains power, it would abolish the state, which is seen as an instrument of class oppression, and establish a classless society. This idea is known as the withering away of the state.
मार्क्स का मानना था कि अंततः राज्य को श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी क्रिया के माध्यम से उखाड़ फेंका जाएगा। एक बार जब श्रमिक वर्ग सत्ता में आता है, तो वह राज्य को समाप्त कर देगा, जिसे वर्ग उत्पीड़न का उपकरण माना जाता है, और एक वर्गहीन समाज की स्थापना करेगा। इसे राज्य के मुरझाने के रूप में जाना जाता है।

6. State as a Vehicle for Capitalist Expansion

राज्य को पूंजीवादी विस्तार का वाहन
Marxists view the state as an instrument of capitalist expansion both within a country and globally. Through policies like imperialism, free markets, and privatization, the state helps the capitalist class expand its profits and influence, often at the expense of the working class.
मार्क्सवादी राज्य को एक उपकरण मानते हैं जो देश के भीतर और वैश्विक स्तर पर पूंजीवादी विस्तार का माध्यम है। साम्राज्यवाद, मुक्त बाजारों और निजीकरण जैसी नीतियों के माध्यम से, राज्य पूंजीवादी वर्ग को अपने मुनाफे और प्रभाव को फैलाने में मदद करता है, अक्सर श्रमिक वर्ग के नुकसान पर।

Briefly describe the constitutional mechanism for resolution of inter-state conflicts in India.

भारत में अंतर राज्य विवादों को सुलझाने के लिए संवैधानिक क्रियाविधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

1. Inter-State Council

अंतर-राज्य परिषद
The Constitution of India provides for the establishment of an Inter-State Council under Article 263. This council aims to promote coordination between states and resolve disputes between them. It can recommend measures for resolving conflicts on various matters like allocation of resources, policies, and other contentious issues.

Scholarly Minds

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर-राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान है। यह परिषद राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने और उनके बीच विवादों को हल करने के उद्देश्य से काम करती है। यह संसाधनों के वितरण, नीतियों और अन्य विवादास्पद मुद्दों पर विवादों को सुलझाने के लिए उपायों की सिफारिश कर सकती है।

2. Judicial Intervention (Supreme Court)

न्यायिक हस्तक्षेप (उच्चतम न्यायालय)

The Supreme Court of India plays a crucial role in resolving inter-state disputes under Article 131. It has the authority to hear and decide disputes between states or between the Union and states, especially when there is a conflict regarding the interpretation of the Constitution, laws, or any legal matter.
भारतीय उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 131 के तहत अंतर-राज्य विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे राज्यों के बीच या संघ और राज्यों के बीच विवादों को सुनने और निर्णय लेने का अधिकार है, विशेष रूप से जब संविधान, कानूनों या किसी कानूनी मामले की व्याख्या पर विवाद होता है।

3. President's Role in Dispute Resolution

राष्ट्रपति की भूमिका विवाद समाधान में

In certain cases, the President of India has the authority to refer disputes between states to an arbitrator or commission. The President can also intervene and direct the parties involved to resolve their disputes through negotiation or mediation.
कुछ मामलों में, भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों को मध्यस्थ या आयोग के पास भेजने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं और संबंधित पक्षों को अपने विवादों को बातचीत या मध्यस्थता के माध्यम से हल करने का निर्देश भी दे सकते हैं।

4. Mutual Consent of States

राज्यों की आपसी सहमति

Many inter-state disputes are resolved through mutual consent between the concerned states. This involves dialogue and negotiations, and states may enter into agreements or compacts to settle their disputes amicably without involving central intervention.
कई अंतर-राज्य विवादों का समाधान संबंधित राज्यों के बीच आपसी सहमति से किया जाता है। इसमें संवाद और बातचीत शामिल होती है, और राज्य अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए समझौते या संधियों में प्रवेश कर सकते हैं, बिना केंद्रीय हस्तक्षेप के।

5. Zonal Councils

क्षेत्रीय परिषदें

The Constitution provides for the creation of five Zonal Councils under the States Reorganization Act, 1956. These councils are designed to promote coordination and cooperation between states in specific zones. They help in resolving disputes by facilitating discussions and deliberations among states in the zone.
संविधान, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना का प्रावधान करता है। ये परिषदें विशेष क्षेत्रों में राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं। ये विवादों

Scholarly Minds

के समाधान में मदद करती हैं, क्योंकि वे क्षेत्र में राज्यों के बीच चर्चाएँ और विचार-विमर्श को सुविधाजनक बनाती हैं।

6. Role of the Governor

राज्यपाल की भूमिका

The Governor of a state also plays a role in the resolution of inter-state conflicts. As per Article 256, the Governor can act as a mediator or facilitator in cases where the conflict between states involves the Union government, helping to maintain peace and cooperation.
एक राज्यपाल भी अंतर-राज्य विवादों के समाधान में भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 256 के अनुसार, जब राज्यों के बीच कोई विवाद संघ सरकार से संबंधित होता है, तो राज्यपाल मध्यस्थ या सहयोगी के रूप में कार्य कर सकते हैं, ताकि शांति और सहयोग बनाए रखा जा सके।

7. Cooperative Federalism

सहकारी संघवाद

India's system of cooperative federalism encourages collaboration between the Union and state governments to address inter-state conflicts. This approach emphasizes dialogue, shared responsibility, and cooperation to solve issues and avoid disputes. Both state and central authorities work together in various forums like the Finance Commission or the National Development Council to prevent or resolve conflicts.
भारत की सहकारी संघवाद की प्रणाली संघ और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है ताकि अंतर-राज्य विवादों को हल किया जा सके। यह दृष्टिकोण संवाद, साझा जिम्मेदारी और सहयोग पर बल देता है ताकि मुद्दों का समाधान किया जा सके और विवादों से बचा जा सके। राज्य और केंद्रीय दोनों प्राधिकरण विभिन्न मंचों जैसे वित्त आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद में मिलकर कार्य करते हैं ताकि विवादों को रोका जा सके या हल किया जा सके।

WATCH OTHER VIDEOS FOR COMPLETE PREPARATION

Scholar Minds